न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 29/2025

नय्यम बेग पुत्र रफीक बेग निवासी अगुणी गुवाडी जिलावडा, श्रीनगर अजमेर जिला अजमेर थाना श्रीनगर

–प्रार्थी/सुपुर्दगीगार

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर

–अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
2. श्री नय्यम बेग अप्रार्थी

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497/503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

–:आदेशः–

दिनांक 18.11.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार नय्यम बेग पुत्र रफीक बेग निवासी अगुणी जिलावडा, श्रीनगर अजमेर राजस्थान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497/503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन संख्या RJ 47 GA 1455 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी क वाहन जिला रसद अधिकारी अजमेर ने अपराध अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त किया है, प्रार्थी उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी चला आ रहा है। प्रार्थी का उपरोक्त वाहन 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का अपराध बनना नहीं पाया जाता है। वाहन पार्किंग में खडा था दौराने जांच भी वाहन वहीं था। वाहन का पार्किंग में खडा होना स्वाभाविक है। जिला रसद अधिकारी द्वारा ऐसे कोई तथ्य या सबूत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे प्रार्थी का वाहन अवैध गतिविधि में लिप्त पाया हो। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा बिना किसी जुर्म के प्रार्थी का वाहन जब्त किया गया। पुलिस को उपरोक्त वाहन की कोई आवश्कता नहीं है तथा उक्त वाहन थाने पर देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। उपरोक्त वाहन प्रार्थी का दैनिक रोजमर्रा का आवश्यक साधन है जिसके अभाव में प्रार्थी को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को वाहन संख्या RJ 47 GA 1455 को सुपुर्दगीनामें पर लौटाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर टिप्पणी हेतु जिला रसद अधिकारी अजमेर को लिखा गया। टिप्पणी प्राप्त होने पर सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने टिप्पणी प्रस्तुत कर बहस में निवेदन किया गया कि दिनांक 01.10.2025 को पुलिस द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ के कारोबार के सबंध में सूचना प्राप्त होने पर नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, सुनीता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश कुमार बुगालिया प्रवर्तन

जिला कलक्टर,
अजमेर

निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक के साथ नौलखा तिराहे के सामने एन.एच 48 के पास श्रीनगर स्थित दशरथ यादव द्वारा संचालित पार्किंग कारोबार स्थल पर पहुँचे। मौके पर श्री श्रवण लाल सहायक उप निरीक्षक आई.सी पुलिस थाना श्रीनगर मय जाब्ता उपस्थित मिले, उन्होनें तहरीर प्रस्तुत करके बताया कि जरिये उच्चाधिकारियों व डी.एस.टी से सूचना मिली कि नौलखा तिराहे के पास एन.एच 48 के सामने यादव पार्किंग श्रीनगर में अवैध बायोडीजल का कारोबार किया जा रहा था जिस पर डी.एस.ओ को सूचित किया गया। मौके पर टिनशेड में 08 सफेद टंकिया, 01 चौकोर टंकी व 15 लोहे के ड्रम पाये गये, जिनमें पैट्रोलियम पदार्थ भरा पाया, जिनका माप करवाने पर 750–750 लीटर क्षमता की 03 टंकियो एवं एक–एक लीटर की दो टंकियो में कुल 4250 लीटर हल्का हरा–पीला रंग का डीजल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया तथा 825–825 लीटर क्षमता की दो एवं 1000 लीटर क्षमता की एक टंकी में 2650 लीटर गहरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया है तथा 1000 लीटर क्षमता की चौकोर टंकी में 900 लीटर हरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टिन शेड से निर्मित कमरेनुमा स्थान में मौजूद 1000–1000 लीटर क्षमता की दो प्लास्टिक टंकी एवं 220 लीटर क्षमता के लोहे के ड्रम व 220 लीटर क्षमता की एक प्लास्टिक के ड्रम में कुल 1800 लीटर हल्का हरा–पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टीनशेड के बाहर एक ट्रक टेंकर RJ 42 GA 1375 खडा पाया जिसमें टैंकर में पांच कंपार्टमेंट तथा कुल क्षमा 34000 लीटर लिखी हुई है, जिसमें कंपार्टमेट कमशः 1,2,3,5 में हल्का पीला रंग का पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया। जिसका माप करवाने पर कुल 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। ट्रक टेंकर के टैंक से टिन शेड में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर से पाइपों के माध्यम से लोहे के नोजलनुमा संरचना से जुडा हुआ था इसके पास में ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 1947 मौजूद था, जो कि टिन शेड क़मरानुमा में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर, प्लास्टिक पाईप व नोजल से जुडा हुआ था अर्थात् उक्त ट्रेलर में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को मौके पर तत्समय भरा जा रहा था। मौके पर एक ट्रैक्टर टेंकर भी मौजूद था जिसमें नोजलनुमा पैट्रोलियम पदार्थ भरने के लिये प्लास्टिक पाईप इलैक्ट्रिक मोटर लगे हुये थे। इसके अतिरिक्त मौके पर टिन शेड (कमरानुमा) में एक इलैक्ट्रिक मोटर 10–10 लीटर क्षमता लिखा हुआ (अप्रमाणिक) माप, 05 लीटर क्षमता लिखा हुआ एक (अप्रमाणिक माप, 1–1 लीटर क्षमता लिखा हुये दो (अप्रमाणिक) माप, 03 अप्रमाणिक गेज माप पाये गये। मौके पर एक ट्रक ट्रेंलर संख्या RJ 47 GA 1455 खडा था जिसका वाहन चालक चांद वेग भी मौके पर पैट्रोलियम पदार्थ भरवाने आया हुआ था। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः वाहन संख्या ट्रेलर RJ 47 GA 1455 को राजसात करने के आदेश फरमावे।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खड़े रहने से डेमेज हो गया है

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त वाहन संख्या ट्रेलर RJ 47 GA 1455 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 01.10.2025 को पुलिस द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ के कारोबार के सबंध में सूचना प्राप्त होने पर नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, सुनीता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश कुमार बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक के साथ नौलखा तिराहे के सामने एन.एच 48 के पास श्रीनगर स्थित दशरथ यादव द्वारा संचालित पार्किंग कारोबार स्थल पर पहुँचे। मौके पर श्री श्रवण लाल सहायक उप निरीक्षक आई.सी पुलिस थाना श्रीनगर मय जाब्ता उपस्थित मिले, उन्होंने तहरीर प्रस्तुत करके बताया कि जरिये उच्चाधिकारियों व डी.एस.टी से सूचना मिली कि नौलखा तिराहे के पास एन.एच 48 के सामने यादव पार्किंग श्रीनगर में अवैध बायोडीजल का कारोबार किया जा रहा था जिस पर डी.एस.ओ को सूचित किया गया। मौके पर टिनशेड में 08 सफेद टंकिया, 01 चौकोर टंकी व 15 लोहे के ड्रम पाये गये, जिनमें पैट्रोलियम पदार्थ भरा पाया, जिनका माप करवाने पर 750–750 लीटर क्षमता की 03 टंकियो एवं एक–एक लीटर की दो टंकियो में कुल 4250 लीटर हल्का हरा–पीला रंग का डीजल जैस पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया तथा 825–825 लीटर क्षमता की दो एवं 1000 लीटर क्षमता की एक टंकी में 2650 लीटर गहरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया है तथा 1000 लीटर क्षमता की चौकोर टंकी में 900 लीटर हरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया । मौके पर टिन शेड से निर्मित कमरेनुमा स्थान में मौजूद 1000–1000 लीटर क्षमता की दो प्लास्टिक टंकी एवं 220 लीटर क्षमता के लोहे के ड्रम व 220 लीटर क्षमता की एक प्लास्टिक के ड्रम में कुल 1800 लीटर हल्का हरा–पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टीनशेड के बाहर एक ट्रक टेंकर RJ 42 GA 1375 खडा पाया जिसमें टैकर में पांच कपार्टमेंट तथा कुल क्षमा 34000 लीटर लिखी हुई है, जिसमें कंपार्टमेंट क्रमशः 1,2,3,5 में हल्का पीला रंग का पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया। जिसका माप करवाने पर कुल 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। ट्रक टेंकर के टैंक से टिन शेड में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर से पाइपों के माध्यम से लोहे के नोजलनुमा संरचना से जुडा हुआ था इसके पास में ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 1947 मौजूद था, जो कि टिन शेड कमरानुमा में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर, प्लास्टिक पाईप व नोजल से जुडा हुआ था अर्थात उक्त ट्रेलर में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को मौके पर तत्समय भरा जा रहा था। मौके पर एक ट्रैक्टर टेंकर भी मौजूद था जिसमें नोजलनुमा पैट्रोलियम पदार्थ भरने के लिये प्लास्टिक पाईप इलैक्ट्रिक मोटर लगे हुये थे। इसके अतिरिक्त मौके पर टिन शेड (कमरानुमा) में एक इलैक्ट्रिक मोटर 10–10 लीटर क्षमता लिखा हुआ (अप्रमाणिक) माप, 05 लीटर क्षमता लिखा हुआ एक (अप्रमाणिक माप, 1–1 लीटर क्षमता लिखा हुये दो (अप्रमाणिक) माप, 03 अप्रमाणिक गेज माप पाये गये। मौके पर एक ट्रक ट्रेंलर संख्या RJ 47 GA 1455 खडा था जिसका वाहन चालक चांद वेग भी मौके पर पैट्रोलियम पदार्थ भरवाने आया हुआ था। इस प्रकार उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है प्रार्थी ने ट्रेलर वाहन संख्या RJ 47 GA 1455 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त वाहन संख्या RJ 47 GA 1455 के प्रथम दृष्टया पैट्रोलियम पदार्थ के अवैध करोबार में लिप्त होने के फलस्वरूप रूपये 1,00,000/–अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति राशि

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

आरोपित की जाती है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को आदेशित किया जाता हैं कि सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा शास्ति राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर स्वामित्व बाबत् सन्तुष्ट होने पश्चात् सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.11.2025 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *